NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/105/2026 दिनांक – 28.07.2026

सेवा में,

श्रीमान पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर व्यक्तियों के साथ लाठी–डंडों से मारपीट किए जाने के प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा उत्तराखण्ड पुलिस हेतु बल प्रयोग (Use of Force) संबंधी बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक जनहित एवं लोककल्याण के उद्देश्य से कार्यरत संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के मूल्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता, विधि के शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिकों की सुरक्षा तथा सुशासन को प्रोत्साहित करना है एवं उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संस्थान की ओर से आपका ध्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर व्यापक रूप से प्रसारित दो वीडियो की ओर आकृष्ट कराया जाता है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी देखा गया। उक्त दोनों वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी सार्वजनिक मार्ग पर व्यक्तियों के साथ लाठी–डंडों से मारपीट कर रहे हैं एवं यह घटना केवल कुछ व्यक्तियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का विषय नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों, मानवीय गरिमा, विधि के शासन तथा पुलिस उत्तरदायित्व से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला है।

भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहाँ विधि सर्वोच्च है, न कि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत शक्ति अथवा विवेक। किसी भी पुलिस अधिकारी को कानून ने यह अधिकार प्रदान नहीं किया है कि वह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर दण्डित करने के उद्देश्य से लाठी–डंडों से पीटे, उसकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुँचाए अथवा उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करे। अपराध की जांच करना, कानून–व्यवस्था बनाए रखना, विधिसम्मत गिरफ्तारी करना तथा अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पुलिस का

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST 28/07/26

वैधानिक दायित्व है; दण्ड देना केवल सक्षम न्यायालय का विशेषाधिकार है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का संपूर्ण तंत्र भारतीय विधि में निर्धारित है। पुलिस स्वयं दण्डाधिकारी बनकर किसी व्यक्ति को सड़क पर सजा नहीं दे सकती। ऐसी प्रवृत्ति न केवल Rule of Law के विपरीत है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता, गरिमा एवं जीवन के अधिकार की भावना पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी अभियुक्त, चाहे उसके विरुद्ध आरोप कितने ही गंभीर या जघन्य अपराध के क्यों न हों, का सार्वजनिक जुलूस निकालना, परेड कराना, अपमानित करना अथवा दण्डात्मक प्रदर्शन करना किसी भी पुलिस अधिकारी को विधि द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। पुलिस का दायित्व अभियुक्त को विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, न कि उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। अतः उत्तराखण्ड पुलिस के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएँ कि किसी भी अभियुक्त अथवा संदिग्ध व्यक्ति का सार्वजनिक जुलूस, परेड अथवा अपमानजनक प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में न किया जाए तथा उल्लंघन की दशा में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह भी अत्यंत गंभीर तथ्य है कि इसी घटना से संबंधित एक अन्य वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि **"हम ऐसे लोगों को सड़क पर घसीट के इनको ज़िंदा जला देंगे"** इस प्रकार का कथन विधि के शासन, संविधान तथा मानवीय गरिमा के पूर्णतः विपरीत है और किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। अतः उक्त कथन करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके विरुद्ध प्रचलित विधि के अनुसार कठोर विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा इस संबंध में भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

यदि पुलिस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर व्यक्तियों को लाठी–डंडों से पीटने जैसी घटनाओं को सामान्य कार्यप्रणाली के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कमजोर होगा तथा पुलिस व्यवस्था की निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून का पालन पुलिस सहित प्रत्येक लोक सेवक पर समान रूप से अनिवार्य है।

अतः नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट जनहित में आपसे निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध करता है :–

a) उक्त वायरल वीडियो की किसी वरिष्ठ अधिकारी अथवा स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ प्रचलित विधि के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

b) उक्त घटना से संबंधित दूसरे वायरल वीडियो में सुनाई दे रहे **"हम ऐसे लोगों को सड़क पर घसीट के इनको ज़िंदा जला देंगें"** जैसे गंभीर कथन करने वाले संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

c) उत्तराखण्ड पुलिस के लिए Use of Force Policy / Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया जाए कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति अथवा अभियुक्त के साथ सार्वजनिक या निजी स्थान पर दण्डात्मक उद्देश्य से लाठी–डंडे का प्रयोग, सार्वजनिक मारपीट, जुलूस, परेड अथवा अपमानजनक प्रदर्शन नहीं करेगा तथा बल का प्रयोग केवल विधि द्वारा अनुमत, आवश्यक एवं अनुपातिक परिस्थितियों में ही किया जाएगा।

d) राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानवाधिकार, संवैधानिक मर्यादाओं एवं विधिसम्मत पुलिसिंग के संबंध में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक अथवा दण्डात्मक व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो एवं उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

संस्थान का यह स्पष्ट मत है कि कानून तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, किन्तु वह कार्रवाई केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही होनी चाहिए। कानून के शासन वाले राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को सड़क पर दण्डित करने की अनुमति किसी भी अधिकारी को नहीं दी जा सकती। पुलिस का दायित्व कानून का पालन कराना है, स्वयं कानून बनना नहीं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करायें कि उत्तराखण्ड पुलिस की कार्यप्रणाली संविधान, विधि के शासन एवं नागरिकों की गरिमा के अनुरूप बनी रहे।

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

संलग्नक :–

पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों के साथ डण्डे से मारपीट किये जाने संबंधी वीडियो मय फोटो की प्रति।

Link : https://www.facebook.com/share/v/1DcPGM3vZG/

Link : https://www.facebook.com/share/v/1LJhJ14S7o/

Link : https://www.facebook.com/share/v/1DcPGM3vZG/

Link : https://www.facebook.com/share/v/1LJhJ14S7o/